चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

NAAC A++

Email.:-registrar@ccsuniversity.ac.in website:- www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक : सम्बद्धता/ 1188 /2025–26 दिनांकः 04/06/2026

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय/महोदया,

कृपया राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याः ई–3403/32–जी0एस0/2026 दिनांकः 28.05.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त महिला छात्रावासों एवं प्राचार्य के आवासों के उपयोग न होने के कारण उनके जर्जर होने के कारण शासकीय धन का अपव्यय होने से सम्बन्धित है।

उक्त के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र की छायाप्रति इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपिः–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
2. वयैक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

04/6/26

सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता)

4/6/26

ई–मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027
संख्याःई–3403/32–जी0एस0/2026
दिनांकः 28/05/.2026

Circulate letter to all colleges and ask report. Urgent for above point.

A.R. (Affiliation)

कुलसचिव
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

प्रेषकः

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया आप अवगत है कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, अधिकारियों, फैकेल्टी डीन, विभागाध्यक्षों/अध्यापकों के साथ विभाग के माननीय मंत्रीगण (उच्च शिक्षा विभाग) तथा उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति में माननीय कुलाधिपति महोदया की अध्यक्षता में गत माह बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया था।

2. उपर्युक्त समीक्षा बैठकों/प्रस्तुतीकरण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अधिकांश महाविद्यालयों में महिला छात्रावास तथा प्रधानाचार्य आवास निर्मित हैं, परन्तु उनका उपयोग नहीं हो रहा है। उक्त भवनों का उपयोग न होने से यह जर्जर होते जा रहे हैं और शासकीय धन का अपव्यय हो रहा है।

3. इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण आदि का समय–समय पर महाविद्यालायों में भ्रमण न होने पर वहाँ की अधिकांश समस्याओं की जानकारी नहीं हो पाती, जिसके परिणामस्वरूप महाविद्यालय में शैक्षणिक प्रगति अवरूद्ध होती है।

4. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित प्रतीत होता हैः–

4.1 महाविद्यालयों में निर्मित महिला छात्रावासों को उपयोग में लाया जाय। यदि छात्रावास में छात्राओं का अधिवास नहीं हो रहा है तो उक्त छात्रावास को आवश्यकतानुसार महाविद्यालय के अन्य प्रयोजनों (यथा– रोजगारपरक शैक्षणिक

कार्यक्रमों के संचालन, एकेडमिक, विभिन्न प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि) में प्रयोग किया जाय।

4.2 महाविद्यालयों में निर्मित एवं रिक्त पड़े प्राचार्य के आवास में प्राचार्यों को निवास करने हेतु निर्देशित किया जाय, यदि प्राचार्य का निवास सम्भव न हो तो उक्त आवासों को विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों हेतु प्रयोग में लाया जाय।

4.3 विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव एवं अन्य अधिकारीगण, उच्च शिक्षा विभाग, उ.प्र. के अधिकारीगण आदि द्वारा समय–समय पर महाविद्यालयों का भ्रमण किया जाय, जिससे महाविद्यालयों में व्याप्त छोटी–छोटी समस्याओं का त्वरित निवारण हो सके।

5. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाविद्यालयों में रिक्त महिला छात्रावासों एवं प्राचार्य आवासों तथा महाविद्यालयों की समस्याओं के दृष्टिगत उपर्युक्त प्रस्तर **4** के उप–प्रस्तर **4.1** से **4.3** के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

29/5/26

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
भा.प्र.से.(से.नि.)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश को माननीय मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

(डॉ. सुधीर एम. बोबडे)
भा.प्र.से.(से.नि.)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
(अपर मुख्य सचिव स्तर)